न्यायालय माननीय मध्य प्रदेश राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

राजस्व पुनरीक्षण पत्र क्रं. / /2017–18

PBR/निगरानी/देवास/भू.रा/2018/2105

अब्दुल हकीम पिता वजीरखॉ उम्र 75 साल जाति मुसलमान व्यवसाय कृषि निवासी पीपलरांवा तहसील सोनकच्छ जिला देवास हाल मुकाम 75/2 इन्दिरा नगर कॉलोनी बी. एन.पी. रोड़ देवास म.प्र.

.... पुनरीक्षणकर्ता

विरूद्ध

1. प्रमोदकुमार पिता शिवेषचन्द्र व्यास उम्र   वर्ष जाति ब्राम्हण व्यवसाय कृषि एवं व्यापार निवासी पीपलरांवा तहसील सोनकच्छ जिला देवास म.प्र.
2. अशोककुमार पिता शिवेषचन्द्र व्यास उम्र   वर्ष जाति ब्राम्हण व्यवसाय कृषि एवं व्यापार निवासी पीपलरांवा तहसील सोनकच्छ जिला देवास म.प्र.
3. अरूणकुमार पिता शिवेषचन्द्र व्यास उम्र   वर्ष जाति ब्राम्हण व्यवसाय कृषि एवं व्यापार निवासी पीपलरांवा तहसील सोनकच्छ जिला देवास म.प्र.
4. मध्य प्रदेश शासन द्वारा राजस्व निरीक्षक वृत्त 02 सोनकच्छ जिला देवास म.प्र.
5. पटवारी मौजा पीपलरांवा पटवारी हल्का नं. 01 तहसील सोनकच्छ जिला देवास म.प्र.

.... गैरपुनरीक्षणकार

पुनरीक्षण पत्र धारा 50 म.प्र.भु.रा.सं. के अधीन

{माननीय अधिनस्थ राजस्व पदाधिकारी तहसीलदार महोदय तहसील सोनकच्छ के राजस्व प्रकरण क्रमांक 7 अ–12/2017–18 अवैध विधि विरूद्ध सीमांकन पंचनामा, प्रतिवेदन व अंतिम आदेश दिनांक 16/01/2018 के विरूद्ध}

निरंतर.......02

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - पीबीआर/निगरानी/देवास/भू.रा./2018/2105

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26.10.2018	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री आर.के. व्यास उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 03.01.19 को कलेक्टर, जिला देवास के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	